राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3024/2023

रायसिंह मोजावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त नियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.10.2023

आदेश की दिनांक : 02.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की वर्तमान में उप रजिस्ट्रार के पद पर सहकारिया समितियां मुख्यालय कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 03.10.2023 को एक अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे आगामी नवम्बर–दिसम्बर में राज्य विधान सभा के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर विधान सभा चुनाव लडना है इसलिए उसे राजस्थान पेंशन सेवा नियमों के अनुसार दिनांक 16.10.2023 से मध्यान्ह पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जावे। दिनांक 16.10.2023 तक अपीलार्थी के संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृति के संबंध में अप्रार्थी द्वारा जारी नही

किया गया तो अपीलार्थी ने पुनः 17.10.2023 को एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) का हवाला देते हुए यह निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रार्थना पत्र 16.10.2023 से स्वीकृत कराये जाने का आदेश पारित करने का कष्ट करे। अपीलार्थी द्वारा बार बार निवेदन करने के पश्चात भी अपीलार्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृति के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है जो कि अनुचित व अवैध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 03.10.2023 (अनुलग्नक–1) व स्मरण प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा 16.10.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है जो उसे 16.10.2023 से नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत मानते हुए आदेश जारी करने के निर्देश दिए जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप रजिस्ट्रार के पद पर सहकारिया समितियां मुख्यालय कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत है। आगामी नवम्बर–दिसम्बर, 2023 में राजस्थान विधान सभा के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने हेतु अपीलार्थी ने दिनांक 03.10.2023 को एक अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे राजस्थान पेंशन सेवा नियमों के अनुसार दिनांक 16.10.2023 से मध्यान्ह पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जावे। परंतु दिनांक 16.10.2023 तक अपीलार्थी के संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश स्वैच्छिक सेवानिवृति के संबंध में अप्रार्थी द्वारा जारी नही किया गया। अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 17.10.2023 को एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) का हवाला देते हुए यह निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रार्थना पत्र 16.10.2023 से स्वीकृत कराये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में भेजे गए अभ्यावेदन दिनांक 17.10.2023 को जिसमें यह उल्लेख किया है कि *''सक्षम स्तर से निर्णय में हो रहे विलम्ब से प्रार्थी के चुनाव कार्य पर विपरीत प्रभाव पडना तय है। इसलिए प्रार्थी भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता के अपने मौलिक अधिकार,*

राजस्थान सरकार के निर्णयानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) में प्रदान की गई शिथिलता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना में अपने नैसर्गिक अधिकारों का उपयोग करते हुए दिनांक 16.10.2023 को मध्यान्ह् पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्थान कर गया है एवं चुनाव कार्यों में सम्मिलित हो रहा है।'' परंतु उपरोक्त अभ्यावेदन दिए जाने उपरांत भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की गई। ऐसी स्थिति में न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से आगामी दो दिवस के भीतर विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नामांकन तिथी (दिनांक 06.10.2023) से पूर्व गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार उचित निर्णय लेते हुए आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य